<u>न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2,</u>
<u>अपर सिविल जज(सी०डि०), रामपुर।</u>

विविध वाद संख्या– 183/2026
CNR No–UPRP04–019949–2026
Reg.No– 829/2026

रूखसार अहमद खां बनाम नबी अहमद आदि।
धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०,
थाना–स्वार, जनपद–रामपुर।

<u>दिनांक–27.07.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया है कि " नबी अहमद पुत्र मो० अहमद, शहजान व शहवाज पुत्रगण नबी अहमद निवासीगण ग्राम रतनपुरा थाना स्वार जिला रामपुर के मकान पर जवरदस्ती कुब्जा करने का प्रयास लगातार करते चले आ रहे है और इसी बावत रंजिश रखते है। दिनांक 27.03.2026 को दिन के करीब 3 बजे नबी अहमद, फजले अहमद पुत्रगण मो० अहमद, शहजान व शहवाज पुत्रगण नबी अहमद एक राय मश्वरा होकर अपने हाथो में लाठी डण्डे व धारदार हथियार लेकर जवरदस्ती प्रार्थी के घर मे घुस आये और प्रार्थी के साथ गाली गलौच व मारपीट करने लगे। मुल्जिमानो ने घर का सामान तितर-बितर व तोडना-फोडना शुरू कर दिया। मुल्जिमानो ने प्रार्थी को जमीन पर गिरा लिया। प्रार्थी का पुत्र उवेश जब प्रार्थी को बचाने आया तो शहजान व शहवाज ने उसकी हत्या करने के इरादे से उसके सिर पर जोर से डण्डे मारे जिससे उसके सिर मे घातक व गंभीर चोट आयी और वह लहुलुहान होकर बेहोश होकर जमीन पर गिर पडा, शोर शरावे पर काफी लोग आ गये थे। मुल्जिमानो के सिर पर खून सवार था। वह प्रार्थी व उसके पुत्र की हत्या करना चाहते थे लेकिन उवेश के लहुलुहान होकर जमीन पर गिरने पर मुल्जिमान यह कहने लगे कि उवेश मर गया है फस जायेंगे। और वहां से धमकी देकर यह कहकर भागने लगे कि एक को तो मार दिया है तुझे भी नही छोडेंगे। प्रार्थी किसी तरह उवेश को लेकर घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने जा रहा था, रास्ते पंजाबी ढेरे से पहले उक्त मुल्जिमानो के अलावा नासिर खा पुत्र जद्दन खा, फैज खां पुत्र नजाकत खां निवासी रसूलपुर ने थाने जाने से रोका और फिर मारपीट की राहगीरो को आता देखकर मुल्जिमान गालियां देते हुये फरार हो गये। प्रार्थी उवेश को लेकर किसी तरह थाने पहुंचा। उवेश की गंभीर स्थिति को देखते हुये पुलिस ने उवेश का मेडिकल कराया। किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की। इस बात से मुल्जिमानो के होसलें बुलन्द हो गये प्रार्थी ने दिनांक 24.03.2026 को भी थाने पर भी शिकायत की। कि मुल्जिमानो से जान का खतरा है लेकिन फिर भी पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। प्रार्थी ने उक्त के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2026 को दिया था परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।"

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गई। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाने से प्रारंभिक जांच आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त प्रारंभिक जांच आख्या अवलोकित की गयी।

प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, छायाप्रति प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक रामपुर, छाया प्रति डाक रसीद, छायाप्रति आधार कार्ड आदि पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के कथनों में प्रथम दृष्टया गंभीर संज्ञेय अपराधों के आरोप परिलक्षित होते हैं, जिनका परीक्षण केवल प्रारम्भिक जाँच आख्या के आधार पर इस स्तर पर अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा अंकित कथित स्वतंत्र साक्षियों के बयानों की सत्यता, उनकी घटना स्थल से निकटता तथा

वास्तविक जानकारी का परीक्षण साक्ष्य के स्तर पर ही किया जा सकता है, न कि इस प्रारम्भिक चरण में। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में इस प्रकरण से संबंधित घटना की तिथि, समय, घटनास्थल व साक्ष्य, सभी बातों का संज्ञान प्रार्थी को है। प्रार्थी अपने साक्ष्य से मामले को साबित कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ एजेंसी से इस स्तर पर अन्वेषण कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र के प्रकथनों व उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर एवं **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(6) ए० एल० जे० 424 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा किये गये संप्रेक्षणों के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो। तदनुरूप प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस०दिनांक–16.09.2026 को पेश हो।

दिनांक 27.07.2026

(आशीष कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2,
अपर सिविल जज(प्रवर वर्ग) रामपुर।
J.O. Code–UP02579